कर्तव्य पथ पर अडिग रह करके कार्य करे : अविनाश चन्द्र

मौ,फुरकान मलिक

बरेली।। हमे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह कर देश प्रदेश और समाज की सेवा करनी चाहिये, ये उदगार अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन अविनाश चन्द्र ने ट्रेंनिग के बाद पास आउट हुए आरक्षियों से कहे।

जानकारी के अनुसार पीएससी की 8वी बटालियन के आरक्षियो ने बरेली में अपनी ट्रेनिग पूर्ण की है, बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक ने आरक्षियों के सम्मेलन में बोलते हुए एक और जहा उन्हें उनके कर्तव्यों के विषय मे बताया वही कोरोना के काल मे व्यायाम करके कैसे अपनी इम्युनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके विषय मे भी जानकारी दी।

सम्मलेन में 8वी वाहिनी पीएससी के सेनानायक के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली ज़ोन अविनाश चन्द्र सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस बल के जवानों से अपील की है। कि इसी समर्पण भाव से कार्य कर कोरोना के काल के शेष दिवसों में भी जनता की सेवा करते रहें, ताकि देश व प्रदेश को कोराना के संकट से बचाया जा सके. अविनाश चन्द्र ने पुलिस जवानों से यह भी कहा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना से संबंधित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें. उन्होंने जवानों से अपील की है। कि सुरक्षा मानकों को न केवल स्वयं अपनाएं अपितु अपने परिवारजनों को भी इसके लिए जागरुक कर सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करें।

'कार्यस्थल भी सैनिटाइज़ रखें'

ड्यूटी के दौरान उपयोग में लाए जा रहे वाहनों, कार्य स्थालों, मैस, बैरिक इत्यादि स्थानों को भी बेहतर ढंग से सैनिटाइज रखने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम स्वस्थ रहकर ही भली-भांति देश की सेवा कर सकते।

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में दो युवकों को 20-20 साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने नामजद दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों मुजरिमों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मुजरिमों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक व्यक्ति ने 28 मार्च 2017 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी घटना वाले दिन साढ़े 12 बजे अपने दूसरे मकान पर गया था। वादी की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री उसको बुलाने आयी। उसने अपनी पुत्री से जाने और खुद के कुछ देर में आने को कहा। वादी जब अपने घर पहुंचा तो उसको अपनी पुत्री घर पर नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद उसे जानकारी हुई कि उसकी पुत्री को

कोर्ट ने दोनों मुजरिमों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी डाला

थाना सिविल लाइन के गांव बरातेगदार निवासी फखरे आलम पुत्र नवाब और विजय पुत्र सुरेंद्र ले गए हैं। आरोपी फखरे आलम और विजय ने उसकी पुत्री को गांव बरातेगदार में फखरे आलम के बंद पड़े घर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया।

वह जब अपनी पुत्री को तलाशते हुए फखरे आलम के घर के पास पहुंचा तो उसे शोर सुनाई दिया। तब वादी के चिल्लाने पर बहुत से गांव के लोग इकट्ठे हो गए। तभी फखरे आलम और विजय दोनों मौके से भाग गए। वादी ने फखरे आलम पुत्र नवाब और विजय पुत्र सुरेंद्र निवासीगण ग्राम बरातेगदार थाना सिविल लाइन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट दाखिल की।

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद नामजद फखरे आलम और विजय को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की रकम जमा होने पर नाबालिग पीड़िता को संपूर्ण धनराशि बतौर हर्जाना देने का भी आदेश दिया है।

दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की सजा

पाक्सो कोर्ट ने महज तीन सप्ताह में ही सुना दिया फैसला

जारां, बरेली : नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने बुधवार को 20 साल की सजा सुनाई। महज तीन सप्ताह की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिया। हालांकि इस दौरान नाबालिग ने दोषी के पक्ष में बयान दिए, जिनकी कानूनी अहमियत नहीं मानी गई।

24 अगस्त, 2018 को बारादरी क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी को युवक आकाश अपने साथ ले गया था। स्वजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कोचिंग पढ़ने गई थी, उसी समय आकाश बहलाकर अपने साथ कहीं ले गया। पुलिस ने आकाश, उसके भाई विशाल व विकास पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बाद में किशोरी मिली तो मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उस वक्त उसने पुलिस को बयान दिए थे कि उसे धोखे में रखकर आकाश अपने साथ ले गया था। इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह पहले शुरू हुई। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह यादौर ने अदालत में छह गवाह पेश किए। पीड़िता के बयान हुए तो वह मुकर गई। कहा कि आकाश के साथ दिल्ली चली गई थी। वहां कमरा लेकर पति-पत्नी के तरह रहे। मर्जी से संबंध बनाए थे। स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ ने आदेश में उल्लेख किया कि नाबालिग बच्ची की सहमति की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। कोर्ट ने दोषी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दोषी के दो सगे भाई विकास और विशाल संदेह का लाभ पाकर आरोप से बरी हो गए। स्पेशल कोर्ट ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की कुल रकम पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च की जाएगी। बीते माह तीन मार्च को अदालत ने पहले गवाह के बयान दर्ज किए थे। तीनों आरोपित इस वक्त जमानत पर थे। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।

वर्ष 2018 में किशोरी को अपने साथ ले गया था आरोपित, तीन सप्ताह में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

दो सगे भाइयों को उम्रकैद गोली मारकर की थी हत्या

जारां, बरेली : नशे में गोली मारकर हत्या के आरोपित दो सगे भाइयों नरेश और लाल सिंह को बुधवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना छह जुलाई, 2016 को रात साढ़े दस बजे की है। छोटेलाल अपने बड़े भाई गोपाल के साथ टॉयलेट को जा रहा था। छोटेलाल का कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वारदात की रात गांव नगरिया विक्रम थाना करीदपुर के ही नरेश ने छोटेलाल को पकड़ लिया और उसके सगे भाई लाल सिंह ने तमंचे से गोली मार दी जो छोटेलाल की गर्दन पर लगी। छोटेलाल की मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने कोर्ट में आठ गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-तृतीय रचना अरोरा ने हत्यारे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को एक लाख रुपये जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। दोषी लाल सिंह को आला कत्ल तमंचा बरामदगी में अलग से सजा सुनाई गई है।

अदालत ने पकड़ा विवाहिता का झूठ, अर्जी खारिज

जारां, बरेली : बीवी ने मुकदमा वापस लेने के बदले शौहर से एकमुश्त रकम हासिल कर ली और बाद में अपने वादे से मुकर गई। बीवी का यह दांव उल्टा पड़ गया। अदालत ने विवाहिता के झूठ को पकड़कर गुजारा खर्च का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि 11 साल के बेटे को उसके पिता से खर्च दिलाने का आदेश दिया है।

थाना बिशारतगंज के भिंडौरा निवासी रूबी ने फैमिली कोर्ट में कहा कि उसकी शादी वर्ष 2009 में शमशुल के साथ हुई थी। ससुरालियों पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए वह वर्ष 2011 में एक साल के बेटे अरहान को लेकर मायके चली आई। उसने अदालत से गुजारा खर्च दिलाने की मांग की। उसने दहेज एक्ट व सामान वापसी का केस खत्म करने के दौरान एकमुश्त रकम ले ली और खर्चे का केस भी वापस लेने का वादा किया। अब वह वादे से मुकर गई है। वह रकम लेकर भी मुकदमा चला रही है। शमशुल ने क्रिमनल कोर्ट में दिये रूबी के बयानों की कॉपी भी दाखिल की। जिसमें रूबी ने साफ कहा कि उसका पति ना तो उसे मारता पीटता था और ना दहेज के लिए तंग करता था। वह आपसी सहमति से अलग रह रही है। फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश-प्रथम शैलोज चंद्रा ने अपने आदेश में लिखा कि विवाहिता बिना उचित व पर्याप्त कारण के अपनी मर्जी से व सहमति से अलग रह रही है तो भरण पोषण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने दंपति के 11 साल के बेटे अरहान को बालिग होने तक उसके पिता से दो हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा खर्च दिलाने का आदेश जारी किया है।

निष्पक्षता से कार्य करें पुलिस और पीएसी कर्मी : एडीजी

सम्मेलन में मौजूद एडीजी अविनाश चंद्र।

बरेली। आठवीं वाहिनी पीएसी में बुधवार को रिक्रूटमेंट आरक्षीगण के सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि एडीजी अविनाश चंद्र ने पुलिस और पीएसी के जवानों से कहा कि वे लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन निष्पक्षता से करें। जनता की समस्याओं का विशेष ध्यान रखें। एडीजी ने कहा कि राष्ट्र और राज्य के निर्माण में पुलिस व पीएस का बहुत बड़ा योगदान है। लोग सुरक्षित रहें यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझते हुए कार्य करें। कहा कि यदि कोई परेशान व्यक्ति आता है तो उसे न्याय जिम्मेदारी से दिलाएं। इस मौके पर आठवीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक समेत पुलिस और पीएसी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

एडीजी ने रिक्रूट आरक्षियों का बढ़ाया हौसला

बरेली। एडीजी अविनाश चंद्र ने पीएसी में रिक्रूट आरक्षियों के सैनिक सम्मेलन में प्रशिक्षण ले रहे आरक्षियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पुलिस विभाग में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका सामना हमें डटकर करना है। उन्होंने पुलिस के महत्व और योगदान के बारे में बताया। साथ ही इम्युनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम करने पर बल दिया। इस अवसर पर पीएसी के आला अधिकारी उपस्थित थे। **संवाद**

लूटपाट में एक बदमाश को पांच साल की कैद

रामपुर | निज संवाददाता

कोर्ट से

- डकैती और जानलेवा हमले के आरोप से बरी
- गंज क्षेत्र में छह साल पहले हुई थी लूटपाट

गंज थाना क्षेत्र में छह साल पहले एक ग्रामीण के साथ लूटपाट करने के मामले में अदालत ने टांडा क्षेत्र के एक बदमाश को पांच साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।

लूटपाट की यह वारदात गंज थाना क्षेत्र के अजयपुर गांव निवासी रिजवान ने अपने खेत के लिए राबिश से भरी ट्राली मंगवाई थी। आरोप है कि रऊफ खां के बाग के पास चार लोगों ने ट्राली को घेर लिया और फिर ट्राली सवार लोगों को घेर लिया और मारपीट कर उससे मोबाइल व रुपये छीन लिए। यह वाकया 27 फरवरी 2014 का है। रिजवान को बदमाशों ने घेर लिया इस बीच ट्राली में सवार एक ग्रामीण किसी तरह गांव में पहुंच गया और उसने शोर शराबा किया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और फिर लोगों ने एक लुटेरे को मौके से पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

इस मामले में जानलेवा हमला करने के साथ ही डकैती का मुकदमा कायम कराया। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर ने आरोपी के खिलाफ पुख्ता सुबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को रंजिश के आधार पर फंसाने का आरोप लगाया। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे एफटीसी द्वितीय रश्मी रानी ने टांडा के सहपुरा गांव निवासी भूरा को लूटपाट के आरोप में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट में जानलेवा हमला करने के साथ ही डकैती का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। लिहाजा इन दो आरोपों से आरोपी को बरी कर दिया गया।

अपहरण में युवक को तीन साल की कैद

रामपुर। किशोरी के अपहरण के मामले में एक युवक को तीन साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2015 में क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी का अपहरण हो गया था। बाद में बिजइया गांव निवासी राजेश के खिलाफ अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज हुआ,जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की। मामला कोर्ट में चला इस दौरान कोर्ट ने बलात्कार व अन्य धाराओं में राजेश को बरी कर दिया,जबकि धारा 363 में उसे दोषी पाया गया। एडीजीसी अमित सक्सेना के अनुसार कोर्ट ने आरोपी राजेश को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जानलेवा हमले के आरोपी को चार साल 11 माह का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

मुरादाबाद। थाना कुंदरकी क्षेत्र में चार साल पहले लूट के दौरान किए गए जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत ने चार साल ग्यारह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना कुंदरकी क्षेत्र के रहने वाले बादाम सिंह ने तीस जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपने गांव के ही सुनील भूकन व शिव सिंह के साथ मुरादाबाद मजदूरी करने जा रहा था। इमरतपुर चौराहे के पास ही कुछ बदमाशों ने उन्हें लूटपाट के इरादे से रोक लिया और उनके साथ मारपीट की तथा धारदार हथियार से हमला किया। इसमें वादी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मुकदमे की विवेचना एसआई अनिल कुमार सिंह ने पूरी करके जफर पुत्र बिल्ला निवासी तेवर खास थाना बिलारी व अन्य के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में की गई। दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखीं। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक कौशल कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जफर को घटना का दोषी माना और उसे चार साल ग्यारह माह के कठोर कारावास की सजा के साथ साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

तीन गैंगस्टरों को दो-दो वर्ष की कैद

संवाद न्यूज एजेंसी

मुरादाबाद। अलग-अलग थाना क्षेत्रों के तीन गैंगस्टरों को अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कटघर, मूंढापांडे और चंदौसी कोतवाली में दर्ज हैं मुकदमे

थाना कटघर क्षेत्र ग्राम गोट के रहने वाले कलवे अली के खिलाफ तत्कालीन थाना प्रभारी राम प्रकाश शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मामला थाना मूंढापांडे का है, जिसमें एसएचओ रविंद्र सिंह तोमर ने ग्राम खाईखेड़ा के रहने वाले आलम उर्फ बाबू के खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज कराया था। तीसरे मुकदमे में चंदौसी कोतवाली के एसएचओ चरन सिंह ने ग्राम मौलागढ़ के रहने वाले भूप सिंह उर्फ बाबू जी को गैंगस्टर में निरुद्ध किया था। तीनों ही मामले अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में सुने गए। जिसमें सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तीनों ही आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।